

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

क्रमांक: - ~~रीडर/20~~ / ~~9. वज 28/2022~~ दिनांक: 18/01/2022
निमित्त, (28/22)

पटवार हल्का.....

विषय:--सम्मानजनक ज़ाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री सिराजुद्दीन पिता हाजी मोहम्मद बख्त

राजस्व ग्राम लोहरीपुरा प.ह. सोनगर की खाता संख्या 3 में ज़ाति / नाम पिरुज़्जीदीन दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बख्शी द्वारा भी ज़ाति / नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री पिरुज़्जीदीन पिता हाजी मोहम्मद बख्त

ज़ाति / नाम सिराजुद्दीन एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. सोनगर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

(श्याम सुन्दर विश्वाह)

उपखण्ड अधिकारी एवं

चित्तौड़गढ़ अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिलिपि:--तहसीलदार

पालना सुनिश्चित करे।

D.No 33

18/01/22



(श्याम सुन्दर विश्वाह)

उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)